

कार्मिक संबंध प्रभाग मानव संसाधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021

स्टाफ परिपन्न क्र. 6725 प्रति: समस्त शाखाएं/कार्यालय दिनांक: 09.01.2018

त्यौहार अग्रिम की राशि में वृद्धि

- 1. सभी स्टाफ सदस्यों का ध्यान स्टाफ परिपत्र क्र. 5656 दिनांक 22.03.2010 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा कर्मचारियों के लिए त्यौहार अग्रिम की सीमा में निम्नलिखित संशोधन किया गया था.
- 2. प्रबंधन द्वारा यह सहर्ष सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की 08.01.2018 को आयोजित बैठक में त्यौहार अग्रिम की राशि में संशोधन किए गए हैं:

कर्मचारियों का संवर्ग	त्यौहार अग्रिम की राशि*
अधिकारी	एक माह का कुल वेतन
लिपिकीय स्टाफ	एक माह का कुल वेतन
अधीनस्थ स्टाफ	एक माह का कुल वेतन

*राशि को निकटतम 100 में पूर्णांकित किया जाए.

- 3. इसके लिए कुल वेतन, वेतन-पर्ची के अनुसार पिछले माह का वेतन होगा. मंजूर की गयी त्यौहार अग्रिम की राशि 10 मासिक किश्तों में वसूल की जाएगी.
- 4. उपर्युक्त प्रावधान 01.01.2018 से प्रभावी होगा. यदि किसी कर्मचारी ने पूर्व पात्रता के अनुसार 01.01.2018 को या इसके ब्राइत्यौहार अग्रिम प्राप्त किया है तो अंतर की राशि उसे यूनियन परिवार के जिरए प्राप्त हो जाएगी. इस अंतर की राशि को प्राप्त करने के लिए यूनियन परिवार में प्रावधान किया जा रहा है. चूंकि जनवरी 2018 में ली गई त्यौहार अग्रिम की चुकौती अवधि फरवरी 2018 से शुरू होगी एवं किश्तों की वसूली में होने वाली परेशानी से बचने के लिए 12 जनवरी 2018 से 25 जनवरी 2018 तक यूनियन परिवार में विंडो खुला रहेगा ताकि त्यौहार अग्रिम के अंतर की राशि को प्राप्त किया जा सके. इसके बाद, विंडो बंद कर दिया जाएगा एवं कर्मचारी त्यौहार अग्रिम के अंतर की राशि को प्राप्त नहीं कर पाएगा.
- कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम, ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में प्रदत्त किया जाता है अतः समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के प्रावधान इस पर लागू होंगे.
- 6. त्यौहार अग्रिम को प्राप्त करने के लिए अन्य सभी विद्यमान दिशानिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे.

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि उपर्युक्त को ध्यानपूर्वक नोट करें.

महाप्रबंधक (मासं)



Employee Relations Division Human Resource Department, Central Office

Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021.

Staff Circular No.: 6725 Date: 09.01.2018

To: ALL BRANCHES / OFFICES

Enhancement in quantum of Festival Advance

- Attention of all is invited to Staff Circular No. 5656 dated 22.03.2010 whereby the limits of Festival Advance for the employees were last revised.
- 2. The Management is pleased to inform that the Board of Directors in its Meeting held on 08.01.2018 has revised the quantum of Festival Advance as under:

Category of Employees	Amount of Festival Advance*
Officers	One month's Gross salary
Clerical Staff	One month's Gross salary
Sub-Staff	One month's Gross salary

- * Amount to be rounded off to nearest 100
- 3. The Gross Salary for this purpose will be the last month's salary as per the pay-slip. The amount of Festival Advance so sanctioned is recoverable in 10 monthly installments.
- 4. The above provisions are effective from 01.01.2018. If any employee has availed Festival Advance on or after 01.01.2018 as per the old eligibility, he/she will be entitled to avail the difference amount through Union Parivaar. A provision is being made in Union Parivaar for applying the difference amount. Since the repayment for the Festival Advance availed in the month of January 2018 starts from February 2018 and to avoid anomalies in recovery of the instalments, the window for availing the difference amount of festival advance will be kept open from 12th January, 2018 to 25th January, 2018 only. After that, the window will be closed and these employees will not be able to avail the difference amount of festival advance thereafter.
- Festival Advance is granted to employees as interest-free advance and hence it would attract the provisions of Section 17(2) of the Income Tax Act 1961, amended from time to time.
- 6. All other existing guidelines for availing the Festival Advance will remain unchanged.

All concerned are requested to take a careful note of the above.

GENERAL MANAGER INR

Control of the second

Ms/chi/18/sc/festival advance